VPSEC/R/P/20/00007

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप–राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/37/2019-20

13 अक्तूबर, 2020

सेवा में,

श्री एस. हसन,
61-बी, फिरदौस नगर-बी,
गली नंबर-2, अलीगढ़-202001
उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने 28.09.2020 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 07.10.2020 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ.सं. 48F 153011 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत चेयरमैन, आर्किटैक्चर विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेज, ए.एम.यू., अलीगढ़ के विषय में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

आपके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय वस्तु इस सचिवालय से संबंधित नहीं है अत: इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि इस सचिवालय के पास आपके आवेदन में उठाए गए बिंदुओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत स्पष्ट करने हेतु कोई जानकारी नहीं है।

अत: आपका पत्र मूल रूप में दस रूपये के पो.आ.सं. 48F 153011 सहित आपको लौटाया जा रहा है। आशा है आप स्थिति से अवगत होंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

DE : 19/10/20

R.T.I No. 37.

Vice President's Secretariat
Dy. No. 15
Date 7/10/20
New Delhi

स्पीड–पोस्ट

सेवा में,
श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय,
उपराष्ट्रपति सचिवालय,
6 मौलाना आज़ाद रोड,
नई दिल्ली – 110001

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

1. मैंने दिनांक 10/09/2020 को चेयरमैन, आर्किटैक्चर विभाग ज़ैड0एच0सी0टी0 इंजीनियरिंग कॉलेज, ए0एम0यू0 से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी थी, जिसकी कॉपी संलग्न है, जिसके समकक्ष मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ वह गलत है/कानून के विरुद्ध है।

2. दिनांक 13/09/2020 को चेयरमैन, आर्किटैक्चर विभाग को सूचित कराया कि कोविड–19/आर0टी0आई0 एक्ट के तहत किसी को बुलाना कानूनन अपराध है विभागीय चेयरमैन से मुझे सूचना उपलब्ध न कराने का कारण पूछा जाये।
द्वितीय बार आवेदन करने के बाद भी मुझे आर्किटैक्चर विभाग से कोई उत्तर/पत्र प्राप्त नहीं हुआ ऐसा किस कारण किया जा रहा है?

3. दिनांक 19/09/2020 को डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ज़ैड0एच0सी0टी0, ए0एम0यू0, अलीगढ़ से प्रथम अपील अधिकारी के तौर पर प्रथम अपील की थी जिसकी कॉपी संलग्न हैं श्रीमान डीन से मुझे कोई पत्र/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा किस

कारण किया गया है वह कौन–सी सत्यता है जिसे छिपाया जा रहा है?

4. वाईस–चान्सलर, ए0एम0यू0, अलीगढ़ को दिनांक 28/09/2020 को सूचित कर चुका हूँ तथा 24 घण्टे की अवधि में सारी सूचनाएं मांगी है आपसे निवेदन है आप अपने स्तर से वाइस–चान्सलर, ए0एम0यू0 अलीगढ़/द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा मुझे समस्त सूचनाएं 24 घण्टे के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की कृपा करें।

5. अगर चेयरमैन, आर्किटैक्चर विभाग/डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, ज़ैड0एच0सी0टी0, ए0एम0यू0, अलीगढ़ या कोई अन्य विभागीय व्यक्ति रिकॉर्ड को जलाने की या किसी भी प्रकार से नष्ट करने की कोशिश करता है तो आगे होने वाली कार्यवाही में वह पूर्णता इसका ज़िम्मेदार होगा तथा अपराधी समझा जायेगा।

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रु0 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर नम्बर 48F 153011 का संलग्न है।

भवदीय

दिनांकः 28/09/2020

(एस0 हसन)
61–बी, फिरदौस नगर–बी,
गली नम्बर – 2,
अलीगढ़ – 202001